ग्राम पंचायत लन्ज खास, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 प्रस्तावना :-

{क} ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 **की धारा** 118 **में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या** PCH – HC - (5) C (15) LAD/2006-12669 **दिनांक** 07-04-16 **द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत लन्ज खास, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि** 4/13 **से** 3/16 **तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।**

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति दीपांजली महाजन	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री रमेश चन्द	23-01-16 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	01-04-13 से 15-02-16
2.	श्री संतोष कुमार	16-02-16 से लगातार

{ ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {लाखों में}
1.	5.2	खाता "ख" के ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना ।	0.45
2.	7	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे।	1.40
3.	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन।	5.38
4.	8	मै० साईं स्टोन क्रेशर से रायल्टी की राशि को न वसूलने बारे।	3.40
5.	9	औपचारिक्ता के बिना खरीद करने बारे।	2.07
6 .	10	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना	1.96

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत लन्ज खास , विकास खण्ड काँगड़ा तहसील व जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 21-07-2016 से 26-07-2016 तक पंचायत कार्यालय लन्ज खास में किया गया । आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/14, 01/15 व 03/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 10/13, 12/14 व 05/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत लन्ज खास , विकास खण्ड काँगड़ा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 138 दिनांक 26-07-16 द्वारा सचिव, पंचायत लन्ज खास से अनुरोध किया गया ।

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत लन्ज खास द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत लन्ज खास के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	161470	36657	198127	58117	140010
2014-15	140010	325922	465932	79540	386392
2015-16	386392	49435	435827	229423	206404

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत लन्ज खास के अवधि 4/13 **से** 3/16 **के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट - 1 में दिया गया है** :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	281888	2255221	2537109	2216281	320828
2014-15	320828	1137513	1458341	1265350	192991
2015-16	192991	1481776	1674767	1136627	538140

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	**बैंक का नाम**	**खाता खाता सं**	**राशि**
1.	HGB LUNJ	87740100047457	464061
2.	---DO-----	87740100073692	24423
3.	---DO-----	87741700071534	8905
4.	---DO-----	87741700071482	819
5.	----DO-----	87741700071455	233
6.	----DO-----	87741700071400	847
7.	---DO-----	87741700071437	756
8.	---DO----	877401 00046926	0
9.	KCC LUNJ	20033055259	232087
		कुल जोड़	**732131**

बैंक समाधान विवरण :-

(क) दिनांक 31-3-16 **को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष** (1+2):- ₹744544

(ख) दिनांक 31-3-16 **को बैंक में कुल जमा राशि** :- ₹732131

(ग) हस्तगत राशि :- ₹12413

कुल जमा :- ₹744544

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 **के नियम** 4 (1) **के अनुसार नियम** 3 **में दर्शाई सहिंता संख्या** 01 **से** 50 **में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा । यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह, नियम**-3 **में सहिंता संख्या** 51 **से** 99 **में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां के**

लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता -ख जाना जायेगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए नौ रोकड़ वहिया व बैंक खातों का पंचायत द्वारा रखरखाव किया गया है जो की अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख -रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता -क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख -रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5.1 नियमों के विरुद्ध नौ बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है । जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(2) के अनुसार आठ बैंक बचत खाते खोले गए है । अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त बैंक खातों को बन्द करते हुए उक्त बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

5.2 खाता "ख" में अर्जित ₹ 0.45 लाख के ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न करना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है । परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है । निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु नहीं किया गया है । इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त ब्याज की अर्जित राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

खाता सं.	2013 -14	2014-15	2015-16	कुल प्राप्त ब्याज
87740100047457	1739	1289	117	3145
87740100073692	179	898	3381	4458
87741700071534	299	150	467	916
87741700071482	486	284	173	943

87741700071455	23	25	36	84
87741700071400	-----	3886	301	4187
87741700071437	969	1178	15	2162
87740100046926	----	2679	159	2838
20033055259	4797	7379	14591	26767
कुल जोड़	**8492**	**17768**	**19240**	**₹ 45500**

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 **के नियम** 29 (4) **के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म** 8 **में वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार किया जाना अपेक्षित है जिसमें एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए बनाया जाएगा और प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस वर्गीकृत सार को तैयार किए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।**

6 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -2 में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जबकि सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है , जोकि {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम**10 (3) **के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए ।**

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹ 1.40 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

ग्राम पंचायत सचिव लन्ज खास द्वारा तैयार की गई अनुदानों की विवरणी {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-16 **को अनुदान** 3RD STATE ,SSA MPLAD,SC SUB PLAN **के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः** ₹8971, ₹2040, ₹12295 **व** ₹116574, **इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त**

शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹139888 अधिक खर्च किए गए जोकि **अनियमित है । इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए ।**

7.1 अनुदान ₹5.38 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1}के अनुसार दिनांक 31-03-16 **तक अनुदान ₹538140 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या**:135 **दिनांक** 20-07-16 **द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत लन्ज खास को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत लन्ज खास द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।**

8 मै० साईं स्टोन क्रेशर, मोहरबला मलाड़ू को अनुचित रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने व ₹3.40 लाख, रायल्टी की राशि को न वसूलने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 24-01-05 **को श्री जोगिन्द्र सिंह, प्रधान द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित हेतु श्री विजय कुमार सपुत्र श्री किशन चन्द को ग्राम सभा में पारित करवाए बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया** जोकि **अनियमित था । राज्य भू-विज्ञानी के पत्र संख्या उद्योग –भू(खनि**-4)**लघु**-140/97 **दिनांक** 9-06-10 **के नोटिस अनुसार उक्त क्रेशर के संचालक श्री विजय कुमार को सूचित किया गया कि उक्त क्रेशर हेतु खनन पट्टा की अवधि दिनांक** 28-01-10 **को समाप्त कर दी गई है परन्तु उक्त क्रेशर हेतु खनन पट्टे का अभी तक नवीनीकरण** (Renewal) **नहीं करवाया गया है इसके अतिरिक्त माइनिंग ऑफिसर के पत्र संख्या** :- **एम.ओ./काँगड़ा/ख.प.**/4001 **दिनांक** 24-12-10 **के अनुसार अवधि** 29-01-05 **से** 28-01-10 **तक की ₹340053 की उक्त क्रेशर की रायल्टी को**

सम्बन्धित पंचायत में जमा करवाने हेतु निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त राशि पंचायत द्वारा नहीं वसूली गई थी जो की एक गम्भीर मामला है। अत: उक्त राशि को न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹340053/- को दण्ड ब्याज सहित वसूल कर सभा निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.07 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 2.07 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 137 दिनांक 26-07-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत लन्ज खास को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत लन्ज खास द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10 क्रय की गई ₹1.96 लाख निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण , भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक् प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-4 पर ₹ 1.96 लाख की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :137 दिनांक 26-07-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत लन्ज खास को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत लांज खास द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना

अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या : - 136 दिनांक 26-07-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत लन्ज खास को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत लन्ज खास द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम	फार्म स0	संदर्भित नियम
1.	गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
2.	मोबाइल टाबर रजिस्टर		
3.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर		
4.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
5.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
6.	अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (2)

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है ।

हस्ता/–
उप निदशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 13/2016–खण्ड–1–5120–5123 दिनाँकः23.09.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत लन्ज खास़, विकास खण्ड काँगड़ा, तहसील व जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, तहसील व जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदश, शिमला–171009.

परिशिष्ट – 2 पैरा -6 के सन्दर्भ में

सामान्य रोकड़ बही :-

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	राशि
1.	31-03-15	75	4386
2.	31-12-15		1615
3.	31-03 -16	24	12413

=11 =

परिशिष्ट – 2 पैरा -9 के सन्दर्भ में

(क)सामान्य रोकड़ बही :-

क्रम	वा० संख्या	रोकड़ बही पृष्ट	विवरण	राशि

संख्या	,माह/वर्ष	संख्या		
1.	38 , 10/13	20	बजरी, रेत	25000
2.	59 , 12 /14	62	क्रेट वायर	6835
3.	16 , 5/15	04	रेत ,बजरी	6063
4.	17 , 05 /15	04	सैटरिंग , रेत,बजरी,बोल्डर	29060
			जोड़	**₹ 66958**

(ख)जिला परिषद रोकड़ बही :-

क्रम संख्या	वा० संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	01 , 5/15	1	बजरी, रेत,पत्थर	6368

(ग)मनरेगा :-

क्रम संख्या	वा० संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	96 , 10/13	89	बजरी, रेत	17300
2.	98 , 10 /13	90	बजरी,रेत	13650
3.	99 , 10/13	90	रेत ,बजरी	6350
4.	30 , 12 /14	20	रेत,बजरी,	15000
5.	31 , 12 /14	20	रेत,बजरी,	15000
6.	32 , 12 /14	20	रेत,बजरी,	4000
7.	33 , 12 /14	20	रेत,बजरी,	10438
8.	34 , 12 /14	20	बजरी,	3010
9.	35 , 12 /14	20	रेत,बजरी,	7980
10.	01 , 05/15	24	रेत ,बजरी,सैटरिंग	19570
11.	02 , 05/15	24	रेत ,बजरी,सैटरिंग	21570
			जोड़	₹133868
			कुल जोड़ :क+ख+ग	**₹ 207194**

परिशिष्ट-4 पैरा 10 के सन्दर्भ में

(क)सामान्य रोकड़ बही :-

क्रम संख्या	वा० संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	38 , 10/13	20	635 cft बजरी, 615cft रेत	25000
2.	59 , 12 /14	62	105 kg क्रेट वायर	6835
3.	63 , 12/14	62	25 बैग सीमेंट	6000
3.	16 , 5/15	04	102 cft रेत ,110 cft बजरी	6063
4.	17 , 05 /15	04	4m3रेत,8m3बजरी,14m3बोल्डर	24520
			जोड़	**₹ 68418**

(ख)जिला परिषद रोकड़ बही :-

क्रम संख्या	वा० संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	01 , 5/15	1	90cft बजरी, 60cft रेत,122 cft पत्थर	6368

(ग)मनरेगा :-

क्रम संख्या	वा० संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	96 , 10/13	89	575 cft बजरी, 290cft रेत	17300
2.	98 , 10 /13	90	625 cft बजरी,464cft रेत	13650
3.	99 , 10/13	90	214 cft रेत ,104 cft बजरी	6350
4.	30 , 12 /14	20	350cft रेत,350 cft बजरी,	15000
5.	31 , 12 /14	20	350 cft रेत,350 cft बजरी,	15000
6.	32 , 12 /14	20	200 cft रेत+बजरी,	4000
7.	33 , 12 /14	20	307 cft रेत,307 cft बजरी,	10438
8.	34 , 12 /14	20	430cft बजरी,	3010
9.	35 , 12 /14	20	540cft रेत, 600 cft बजरी,	7980
10.	01 , 05/15	24	1m3 रेत ,10m3 बजरी,	11050

11.	02 , 05/15	24	15.5m3 **रेत** ,1m3 **बजरी**,	17095
			जोड़	₹120873
			कुल जोड़ :क+ख+ग	**₹195659**

बैंक विवरण मन्दिर श्री राम गोपाल डमटाल 31-12-14 तक बचत राशि व हस्तगत राशि विवरण :-

क्रम स०	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	के.सी.सी डमटाल	20092019913	163947
2.	एस.बी.आई.डमटाल	11429569832	334922
3.	के.सी.सी.कन्दरोड़ी	20015015648	113828
4.	एस.वी.पी.कन्दरोड़ी	55100094011	27211
5.	एस.वी.पी.नूरपुर	55104358358	33792
6.	हि०प्र० ग्रामीण बैंक	8860101232139	351667
		कुल जोड़:-	1025367

हस्तगत राशि:- 1001